

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द  
(बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

5

अपील संख्या :- 21/2017  
दायर दिनांक :- 26-07-2017  
निर्णय दिनांक :- 08-02-2018

अनवान

1. श्रीमती शान्ता पत्नि मोहननाथ जाति रावल निवासी कोटडा तसहील देवगढ जिला राजसमन्द
2. पुजा पुत्री मोहननाथ जाति रावल निवासी कोटडा तसहील देवगढ जिला राजसमन्द जरीये सरक्षक माता अपीलाण्ट संख्या एक श्रीमती शान्ता

-----अपीलांट

बनाम

1. याशिका ग्रेनाईट कोटडा रायको की ढाणी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द पंजीकृत भागीदारी फर्म जारीये भागीदार-  
1/1 राजेन्द्र यादव पिता परशराम यादव निवासी 125 रथियो का बास गगवाना तहसील व जिला अजमेर  
1/2 वदना पत्नि राजेन्द्र यादव निवासी 125 रथियो का बास गगवाना तहसील व जिला अजमेर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा

-----रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण आदेश न्यायालय तहसीलदार देवगढ नामान्तरण संख्या 417  
दिनांक 03.06.2014

उपरिथत :-

- 1- श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
- 2- श्री विश्वजीतसिंह कर्नावट अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

:- निर्णय :-

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, देवगढ द्वारा राजस्व ग्राम कनवेरा का नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 03.06.2014 अपीलाण्ट को बिना सुने किस्म परिवर्तित कर खनन क्षेत्र घोषित कर दिया इससे असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त नामान्तरण फैसल होने की जानकारी दिनांक 18.07.2017 को अपीलाण्ट की भूमि में अवैधरूप से खनन कार्य करने हेतु अवैधरूप से प्रवेश किया जिस पर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई । उक्त निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व में नहीं थी। उक्त नामान्तरकरण आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को प्रथम बार दिनांक 18.07.2014 को अपीलार्थी की भूमि में रेस्पोडेण्ट द्वारा अवैध रूप में खनन कार्य करने हेतु अवैधरूप से प्रवेश किया जिस पर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होते ही नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। जो जानकारी से अन्दर मयाद है। उक्त आदेश अवैध आदेश की श्रेणी में आता है और अवैध आदेश

32

(6)

को चुनौती देने के लिये कोई मियाद नहीं है। मामला अपीलान्टस की जायदाद से सबन्धित हैं इनके विधिक हक अधिकार जुड़े हुए हैं। मामला गुणावगुण पर अच्छा है और राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत रूप से निर्णय पारित कर अपीलान्टस के वैध हक, अधिकार अवैधरूप से समाप्त किये गये हैं ऐसे आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अपीलान्टस को बिना सुने ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश पारित कर फैसल किया गया है जिसकी जानकारी होते ही शीघ्र यह अपील पेश की गई है। मामला गुणावगुण पर अच्छा है और यदि उक्त मामले को तकनिकी आधार पर अस्वीकृत किया जाता है। तो अपीलान्टस के विधिक हक अधिकार काफी प्रभावित होंगे और न्याय से वंचित होंगे। जो देरी का पर्याप्त एवं उचित कारण हैं। अपीलान्ट द्वारा जानबुझकर किसी प्रकार की देरी नहीं की गई है। अपीलान्टस ग्रामीण परिवेश की विधवा महिला होकर अनपढ़ है जिसे उक्त दस्तावेज एवं कार्यवाही के बारे में पूर्व में कभी जानकारी नहीं रही है। देरी का यह पर्याप्त एवं उचित कारण है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को मयाद में मानते हुये निर्णित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जानकारी के अभाव में जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का धारा 5 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी।

अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट ने प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जबाब प्रस्तुत कर निपेदन किया कि अपीलान्टस का यह कथन सर्वथा मिथ्या, बेबुनियाद एवं मनगढन्त है कि उक्त प्रकरण में नामान्तकरण की जानकारी प्रथम बार दिनांक 18.07.2017 को जब अपीलार्थीगण की भूमि में रेस्पोजेण्ट द्वारा अवैध रूप से खनन कार्य करने हेतु प्रवेश किया से जानकारी हुई का तथ्य सर्वथा मिथ्या, मनगढन्त और बेबुनियाद हैं और प्रार्थीगण/अपीलान्टस ने उक्त अपील को प्रस्तुत करने में हुये देरी से बचने के प्रछन्न अभिप्रायः से यह मिथ्या कथन किया है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण को उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 18.07.2017 को होना अभिकथित किया है वह बिल्कुल गलत है और प्रार्थीगण ने उक्त नामान्तकरण की नकले सन 2016 में प्राप्त कर इन्ही अभिकथनों के आधार पर सन 2016 में एक वाद माननीय जिला न्यायाधीश महोदय राजसमन्द के यहां प्रस्तुत किया जिसमें भी उक्त नामान्तकरण की नकल प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण ने इन्ही अभिकथनों के साथ उक्त नामान्तकरण की जानकारी के आधार पर विभिन्न कार्यालयों में सन 2016 में शिकायते भी प्रस्तुत की गई है। यही नहीं उक्त नामान्तकरण की प्रति माननीय जिला न्यायाधीश महोदय राजसमन्द में प्रस्तुत एक अन्य वाद जो अप्रैल 2017 में प्रस्तुत किया गया उसमें भी प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 18.07.2017 को होने का कथन मिथ्या एवं मनगढन्त है और प्रार्थीगण ने जानबुझ कर न्यायालय को गुमराह कर धोखा देने की नियत से ऐसा कथन किया है। ऐसी स्थिति में अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई उचित एवं पर्याप्त कारण विद्यमान नहीं है तथा देरी माफ किये जाने का अधिकार माननीय न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर है और अपीलान्टस ने जानबुझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर

32

7

निध्या कथन कर इस अपील को मियाद में लाने के प्रच्छन्न अभिप्रायः से गलत बयानबाजी की हैं जिससे यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य हैं और प्रार्थीगण के विरुद्ध झूठा शपथ देने के लिये उनके विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही किया जाना भी विधिसम्मत होगा।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया कि अवैध नामान्तकरण को निरस्त किये जाने पर मियाद की अवधि लागू नहीं होती है। तथा नामान्तकरण एवं आदेश नामान्तकरण दोनों तहसीलदार द्वारा ही दिये गये। जबकि एक ही व्यक्ति दोनों आदेश नहीं दे सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि नामान्तकरण खोलते समय मोहननाथ की मृत्यु हो चुकी थी। मृतक व्यक्ति के विरुद्ध कोई नामान्तकरण नहीं खोला जा सकता है। एवं शेष उन्ही कथनों को दोहराया जो मियाद के प्रा०पत्र में अंकित है। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा पुष्टि में निम्नांकित नजीरे पेश की गई है।

1.आर आर टी 2010 (2) 1363 जो राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 धरा 98 सम्पत्ति के सम्बन्ध में हैं।

2.आर आर टी 2002 (1) 649 धारा 5 विलम्ब का उपशमन विलम्ब उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिये यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिये।

3.आर आर टी 1994 214 नंगा व अन्य बनाम अमरावसिंह व अन्य एवं ,606 गिरजाबाई बनाम श्रीमती नाथीबाई व अन्य प्रस्तुत किये हैं।

अतः प्रार्थना हैं कि अपीलान्टस का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को मयाद में मानते हुये निर्णित फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि मुझे दिनांक 18.07.2017 को उनके खेत में अवैध खनन का प्रयास करने पर नामान्तकरण का पता चला जबकि अपील में मोहननाथ के दोनों पुत्र पक्षकार ही नहीं हैं जो होने चाहिये। अपीलार्थी का यह कहना पूर्णतया असत्य एवं गलत तथ्यों पर आधारित हैं। जबकि मोहननाथ के वारिसानों द्वारा एक दावा 17/2016 दिनांक 21.04.2016 को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। एवं एक अन्य दावा 12.04.2017 को पुनः जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इससे स्पष्ट हैं कि उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में भी थी। अपील में भी मोहननाथ की मृत्यु का कोई हवाला नहीं दिया गया है। रेस्पोजेण्ट के अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में निम्नांकित नजीरे पेश कि गई :-

1. 2010 DNJ SC at Page 665 Pera 9
2. 1998 SC 2276 Last Pera
3. 2016 (1) DNJ Raj 201
4. 2014 SC 746
5. 2014 CLJ (1) 726


6. 2013 DNJ Raj 1321

7. 2013 SC 1732


अतः अपीलान्टस का धारा 5 मियाद अधिनियम का यह प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपीलान्टस द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश राजसमन्द में एक सिविल वाद दिनांक 22.04.2016 को प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्टस द्वारा आर टी आई के तहत भी दिनांक 13.01.2016 एवं 02.02.2016 को खनि विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार यह कहना कि नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 18.07.2017 से पूर्व नहीं थी। यह कहना गलत एवं तथ्यों के विरुद्ध है।

अतः अपीलान्ट का धरा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस प्रकार प्रा0पत्र मियाद अधिनियम का खारीज हो जाने से मूल अपील भी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

  
(बृजमोहन बैरवा)  
अति० जिला कलक्टर  
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 08-02-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(बृजमोहन बैरवा)  
अति० जिला कलक्टर  
राजसमन्द

